[2011] 15 (अतिरिक्त) एस.सी.आर. 1048

डी. एथिराज
बनाम
सरकार के सचिव एवं अन्य
(2011 का दांडिक अपील संख्या 1949)
11 अक्टूबर 2011

[अशोक कुमार गांगुली एवं
ज्ञान सुधा मिश्रा, न्यायमूर्ति गण]

सजा में छूट:

तमिलनाडु सरकार के दिनांक 23.2.1992 के सरकारी आदेश के अनुसार सजा में छूट का दावा- उच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकृत इस आधार पर किया गया कि अधिसूचना की तिथि पर कैदी जमानत पर था - अभिनिर्धरितः इस वाद में, कैदी सजा में छूट के अपने वाद पर सरकारी आदेश के अनुसार विचार किए जाने का हकदार है। किसी विशेष दिन कैदी का जमानत पर होना केवल एक संयोग है। न्यायालय को कैदी द्वारा भुगती गई सजा की वास्तविक अवधि पर विचार करना होगा एवं यह देखना होगा कि क्या वास्तव में भुगती गई अवधि के कारण कैदी सजा में छूट के लिए पात्र है। उच्च न्यायालय का आदेश अपास्त किया जाता है। कैदी को पुनः प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। राज्य सरकार को निर्णय में की गई टिप्पणियों के आलोक में कैदी के वाद पर विचार करने का निर्देश दिया जाता है। भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 141 - पूर्व उदाहरण। तमिलनाडु, गृह (कारागार सी) विभाग जीओएम संख्या 279 दिनांक 23.2.1992.

अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया एवं विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 14.1.1992 के फैसले एवं आदेश के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 366 सहपठित धारा 109 एवं 119 के तहत तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। उसकी अपील एवं सर्वोच्च न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी गई एवं परिणामस्वरूप, उसे 7.9.2010 को केंद्रीय कारागार में पुनः भर्ती कर लिया गया। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की सजा में छूट के लिए याचिका को अस्वीकार कर दिया, जो तमिलनाडु गृह (कारागार सी) विभाग के जी.ओ.एम.एस. संख्या 279, दिनांक 23.2.1992 के अनुसार विचार करने के लिए थी, इस आधार पर कि अधिसूचना जारी होने की तारीख को वह जमानत पर था।

अपील स्वीकार करते हुए न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1.1. किसी कैदी का किसी विशेष दिन जमानत पर होना मात्र एक संयोग है। न्यायालय को कैदी द्वारा भुगती गई सजा की वास्तविक अवधि पर विचार करना होगा एवं यह देखना होगा कि क्या वास्तव में भुगती गई अवधि के कारण कैदी सजा में छूट का पात्र है। [कंडिका 20] [1056-ई-एफ]

नालामोलू अप्पाला स्वामी एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1989) अनुपूरक (2) एससीसी 192 - अवलंबित।

1.2. हालांकि, जिस अवधि के दौरान याचिकाकर्ता जमानत पर था एवं उसने कारावास की सजा नहीं भुगती, उस अवधि के लिए उसे सजा में छूट का लाभ नहीं मिल सकता। [कंडिका 18] [1056-बी]

हरियाणा राज्य बनाम नौरत्ता सिंह एवं अन्य 2000 (2) एससीआर 246 (2000) 3 एससीसी 514; एवं *जोगिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य* (2001) 8 एससीसी 306 - अवलंबित

1.3. वर्तमान वाद में, अपीलकर्ता ने 5.10.2010 तक कुल 1 वर्ष एवं 140 दिन की सजा काट ली थी। एवं उसने उक्त अधिसूचना के अनुसार अपनी सजा में छूट के लिए आवेदन किया था। यह स्वीकार किया जाता है कि सरकारी आदेश संख्या 279, दिनांक 23.2.1992, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में जारी किया गया था, अभी भी प्रभावी है एवं राज्य इससे बाध्य है। सरकारी आदेश में यह नहीं कहा गया है कि छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए कैदी को सरकारी आदेश जारी होने की तिथि पर वास्तव में जेल में होना चाहिए। अपीलकर्ता उक्त सरकारी आदेश के तहत अपनी सजा में छूट के वाद पर विचार किए जाने का हकदार है, क्योंकि उसने स्वीकार किया है कि उच्च न्यायालय द्वारा 25.3.2011 को दिए गए निर्णय की तिथि से पहले छह महीने से अधिक कारावास भुगता था। [कंडिका 4-5 एवं 9] [1051-सी-ई; 1053-सी-ई]

1.4. इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा नालमोलू अप्पाला स्वामी के वाद में स्पष्ट रूप से तय की गई स्थिति के बावजूद, एवं इस तथ्य के बावजूद कि उक्त निर्णय को उच्च न्यायालय के समक्ष रखा गया था, दुर्भाग्यवश उच्च न्यायालय ने एक ऐसा निर्णय लिया जो इस न्यायालय द्वारा दिए गए कारण के विपरीत है। इसलिए उच्च न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाता है। अपीलकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह छूट के लिए प्रार्थना करते हुए एक नया अभ्यावेदन प्रस्तुत करे एवं इस निर्णय की एक प्रति संलग्न करे। राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वह इस निर्णय में की गई टिप्पणियों के आलोक में अपीलकर्ता के वाद पर विचार करे। [कंडिका 13, 14, 20 एवं 21] [1054-बी-सी; एफ-जी; 1056-ई-जी]

नजीर संदर्भ:

(1989) अनुपूरक (2) एससीसी 192 अवलंबित कंडिका 13

2000 (2) एससीआर 246 अवलंबित कंडिका 15

(2001) 8 एससीसी 306 अवलंबित कंडिका 16

दांडिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2011 का दांडिक अपील संख्या 1949

मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 25.3.2011 के निर्णय एवं आदेश से, 2010 की एच सी पी संख्या 2323 में।

अपीलकर्ता के लिए, ए.एल. सोमयाजी, वी. पद्मनाभन, शैलेंद्र किशोर, कृष्ण देव, सैंथिल जगदीसन

उतरदातओं के लिए, गुरुकृष्ण कुमार, एएजी, अक्षत हंसारिया, बी. बालाजी, एम. योगेश काना (सुब्रमणियम प्रसाद के लिए)

न्यायालय का निर्णय

न्यायमूर्ति गांगुली द्वारा सुनाया गया। 1. अनुमति प्रदान की गई।

2. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

3. जब मामला 26 सितंबर, 2011 को सूचीबद्ध किया गया, इस न्यायालय ने राज्य के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया कि वे एक शपथपत्र प्रस्तुत करें जिसमें अपीलकर्ता द्वारा भुगती गई सजा की वास्तविक अवधि का उल्लेख हो। हालांकि, शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, लेकिन राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने एक बयान प्रस्तुत किया है जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा विभिन्न चरणों में भुगती गई सजा की अवधि दर्शाई गई है एवं इस बयान का याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा खंडन नहीं किया गया है। हम उस बयान को अभिलेख पर लेते है

इसका अवलोकन करने पर निम्नलिखित स्थिति स्पष्ट होती है:

क्रम संख्या	से	तक	दिनों की सं.

1	16.05.1987	19.05.1987	04 दिन
2	14.01.1992	24.01.1992	11 दिन
3	22.11.2002	26.02.2003	96 दिन
4	07.09.2010	दिनांक (05.10.2011) तक	1 वर्ष 29 दिन

4. उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता 5.10.2011 तक 1 वर्ष एवं 140 दिन की सजा काट चुका था।

5. इस वाद में चुनौती का विषय उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2011 को पारित आदेश है, जिसमें उच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए, एक तर्कसंगत आदेश द्वारा अपीलकर्ता की सजा में छूट की याचिका को अस्वीकार कर दिया है। यह याचिका सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सरकारी आदेशों (जीओएस) के आलोक में विचार करने के लिए दायर की गई थी।

6. उच्च न्यायालय के निर्णय का सार यह है कि चूंकि याचिकाकर्ता सजा में छूट के लिए विभिन्न अधिसूचनाओं के जारी होने की तिथि पर जमानत पर था, इसलिए उसकी सजा में छूट के वाद पर विचार नहीं किया जा सकता है।

7. हम उच्च न्यायालय के उपरोक्त तर्क को निम्नलिखित कारणों से स्वीकार नहीं कर सकते:

8. सरकार द्वारा सजा में छूट के संबंध में कई अधिसूचनाएँ जारी की गई हैं। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं ने अपने वाद के समर्थन में सरकार द्वारा जारी अधिसूचना जी.ओ. एमएस. संख्या 279, दिनांक 23 फरवरी, 1992 का हवाला दिया है। हम उक्त अधिसूचना का उल्लेख कर रहे हैं क्योंकि इस न्यायालय को अपने निर्णय में इसकी व्याख्या करनी है।

तमिलनाडु सरकार

सारांश

कैदी - सजा में छूट - तमिलनाडु में नव निर्वाचित सरकार के पदभार ग्रहण करने के अवसर पर विशेष छूट- आदेश दिया गया।

गृह (कारागार सी) विभाग

सरकारी आदेश संख्या 279, दिनांक 23.2.92

आदेश

तमिलनाडु में नव निर्वाचित सरकार के पदभार ग्रहण करने के अवसर पर, सरकार ने कुछ वर्गों के कैदियों को सजा में छूट देने का निर्णय लिया है, जिन्हें इस राज्य की न्यायालयों द्वारा विभिन्न अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है एवं आजीवन कारावास के अलावा विभिन्न अवधियों के कारावास की सजा सुनाई गई है।

2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तमिलनाडु सरकार एतदद्वारा निम्नलिखित सजाओं में छूट देती है:

क. उन महिलाओं के वाद में जिन्हें हत्या, डकैती एवं तस्करी से संबंधित अपराधों के अलावा अन्य अपराधों के लिए सजा सुनाई गई है, उनकी सजा का पूरा शेष भाग, एवं

ख. उन पुरुषों के वाद में जिन्हें हत्या, डकैती एवं तस्करी से संबंधित अपराधों के अलावा विभिन्न अपराधों के लिए सजा सुनाई गई है, उनकी कारावास अवधि में से छह महीने।

3. ऊपर स्वीकृत विशेष छूट दीवानी वादों से संबंधित कैदियों एवं बंदियों के वादों में हिरासत संबंधी कानून के तहत एवं साथ ही राजकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923 की धारा 3 से 10 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्तियों के वादों में एवं दांडिक कानून संशोधन अधिनियम, 1961 की धारा 2 एवं 3, भारतीय दंड संहिता की धारा 121 से

130, विदेशी एवं पासपोर्ट अधिनियमों के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्तियों के वादों में एवं अन्य राज्यों के दांडिक क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों द्वारा दोषी ठहराए गए व्यक्तियों के वादों में भी स्वीकार्य नहीं होगी।

4. इस आदेश के तहत दी गई छूट उन कैदियों पर भी लागू होगी, जिन्हें इस राज्य में दोषी ठहराया गया है, लेकिन वे अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की जेलों में अपनी सजा काट रहे हैं।

5. इस आदेश के तहत दी गई छूट 24 फरवरी, 1992 से प्रभावी होगी, जो तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री का जन्मदिन है।

(राज्यपाल के आदेश से)

के. मलाईसामी,

सरकार के सचिव।

9. यह स्वीकार किया जाता है कि उक्त अधिसूचना अभी भी प्रभावी है एवं राज्य इससे बाध्य है। उक्त अधिसूचना, जैसा कि इसके पाठ से स्पष्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में जारी की गई थी। याचिकाकर्ता ने उक्त अधिसूचना के तहत सजा में छूट के लिए आवेदन किया। अपीलकर्ता को ऊटी के विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा 14 जनवरी, 1992 को 1989 के सत्र वाद संख्या 11 में दोषी ठहराया गया था एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के साथ धारा 109 के तहत अपराध के लिए तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 119 के तहत अपराध के लिए एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। हालांकि, सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

10. अपीलकर्ता द्वारा 1992 के सी.ए. संख्या 64 के माध्यम से अपील दायर करने पर, उच्च न्यायालय ने 7 जून, 2002 को अपने फैसले से अपीलकर्ता की दोषसिद्धि एवं सजा की

पुष्टि करते हुए याचिका खारिज कर दी। ·उच्च न्यायालय के उक्त फैसले के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा इस न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिका 20 जुलाई, 2010 को खारिज कर दी गई।

11. उपरोक्त के परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता को 7 सितंबर, 2010 को कोयंबटूर केंद्रीय कारागार में पुनः भर्ती कराया गया एवं वह आज भी सजा काट रहा है।

12. उपर्युक्त स्वीकृत तथ्यों को देखते हुए, हमारी राय में अपीलकर्ता को उपरोक्त अधिसूचना के तहत सजा माफी के वाद पर विचार करने का अधिकार है, क्योंकि उसने स्वीकार किया है कि वह 25 मार्च, 2011 को उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले की तारीख से पहले छह महीने से अधिक कारावास भुगत चुका है, लेकिन उच्च न्यायालय ने फैसले में बताए गए कारणों से इस आधार पर इस पर विचार करने से इनकार कर दिया कि सजा माफी की अधिसूचना जारी होने की तारीख को याचिकाकर्ता जमानत पर था।

13. श्री ए.एल. सोमयाजी, अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने हमारे समक्ष इस न्यायालय के एक निर्णय का हवाला दिया, जो कि *नालामोलू अप्पाला स्वामी एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य* (1989) अनुपूरक (2) एससीसी 192 में दिया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने हमारा ध्यान उक्त निर्णय के कंडिका 3 की ओर आकर्षित किया एवं प्रस्तुत किया कि आंध्र प्रदेश राज्य ने उस वाद में भी इसी प्रकार की तर्क दी थी। उक्त निर्णय का कंडिका 3 यह दर्शाता है एवं नीचे दिया गया है:

> "3 राज्य द्वारा दायर संक्षिप्त शपथपत्र में, कंडिका 4 में निम्नलिखित कहा गया है: "यह विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि उक्त सरकारी आदेश 1 नवंबर, 1984 के बाद लागू नहीं है एवं इसके अतिरिक्त, छूट केवल उन कैदियों को दी जा सकती है जो उक्त सरकारी आदेश जारी होने के समय वास्तव में जेल में थे। इस माननीय न्यायालय के आदेश के आधार पर अपीलकर्ता जमानत पर थे।" चूंकि वे उपरोक्त

> सरकारी आदेश जारी होने के समय जेल में नहीं थे, इसलिए वे इस सरकारी आदेश को अपने ऊपर लागू करके रिहाई का दावा नहीं कर सकते।

14. यहाँ भी, हम पाते हैं कि सरकारी आदेश में यह नहीं कहा गया है कि माफी का लाभ प्राप्त करने के लिए, कैदी को वास्तव में उस तारीख को जेल में होना चाहिए जिस दिन सरकारी आदेश जारी किया गया था। इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त स्पष्ट स्थिति के बावजूद एवं इस तथ्य के बावजूद कि वही निर्णय उच्च न्यायालय के समक्ष रखा गया था, दुर्भाग्य से उच्च न्यायालय ने एक ऐसा निर्णय लिया जो इस न्यायालय के उपरोक्त तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा *ना लामोलू अप्पाला* (उपरोक्त) वाद में दिए गए कारण के विपरीत है।

15. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के दो निर्णयों का हवाला देकर उच्च न्यायालय के तर्क को सही ठहराने का बहुत ज़ोरदार प्रयास किया है। सबसे पहले, उन्होंने हमारा ध्यान इस न्यायालय द्वारा *हरियाणा राज्य बनाम नौरता सिंह एवं अन्य* (2000) 3 एससीसी 514 के वाद में दिए गए निर्णय की ओर आकर्षित किया है। उस वाद के तथ्यों का संक्षिप्त वर्णन निर्णय सार में किया गया है, जो नीचे दिया गया है:

> "उतरदाता को 5-1-1978 को विचारण न्यायालय द्वारा धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध से दोषमुक्त कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने अपील लंबित रहने के दौरान उतरदाता को जमानत पर रहने की अनुमति दी, लेकिन अंततः 23-4-1980 को उक्त प्रावधानों के तहत उसे दोषी ठहराया। परिणामस्वरूप, उतरदाता ने 7-6-1980 को आत्मसमर्पण कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय में उसकी अपील लंबित रहने के दौरान, उसे 2-8-1980 को फिर से जमानत पर रिहा कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने अंततः दोषसिद्धि को संधारित रखा एवं परिणामस्वरूप, उसे 22-8-1994 को फिर से जेल भेज दिया गया। ऐसी

> परिस्थितियों में, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने उतरदाता के इस तर्क को स्वीकार करते हुए कि उसकी दोषसिद्धि विचारण न्यायालय के फैसले की तारीख, यानी 5-1-1978 से प्रभावी है, उसके दावे को स्वीकार कर लिया। कि वह अवधि जिसके दौरान वह जमानत पर था (5-1-1978 से 7-6-1980 तक एवं 2-8-1980 से 21-8-1994 तक) उसकी छूट की पात्रता की अवधि में शामिल की जानी चाहिए। उतरदाता का दावा हरियाणा राज्य द्वारा जारी निर्देशों पर आधारित था, जिसमें कहा गया था कि उन सभी दोषियों को भी छूट दी जाएगी जो 25-1-1988 को जेल से पैरोल/फर्लो पर थे।

16. न्यायालय ने पाया कि एक अभियुक्त जमानत पर रहने की अवधि को अपनी सजा में छूट के रूप में दावा नहीं कर सकता। हम नौरत्ता सिंह वाद में इस न्यायालय द्वारा की गई उस व्याख्या से सम्मानपूर्वक सहमत हैं। कोई भी अन्य व्याख्या दांडिक न्याय प्रणाली का उपहास उड़ा देगी। इस न्यायालय ने नौरत्ता सिंह वाद की प्रतिवेदन के कंडिका 18 में उदाहरण देकर इसे स्पष्ट किया, जिसे हम यहां प्रस्तुत करते हैं:

> "18. उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण की स्पष्ट त्रुटि को एक उदाहरण के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकता है। एक अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के तहत एक अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया। मुकदमे की अवधि के दौरान उसे जमानत पर रहने की अनुमति दी गई एवं मुकदमा लगभग 3 साल तक चला। अंत में न्यायालय ने उसे दोषी ठहराया एवं उसे तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। क्या दोषी व्यक्ति को इस आधार पर जेल नहीं जाना चाहिए कि वह तीन साल तक जमानत पर था एवं इसलिए उस अवधि की छूट का हकदार है?"

17. इसी प्रकार के विचार इस न्यायालय द्वारा बाद के निर्णय *जोगिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य* (2001) 8 एससीसी 306 में व्यक्त किए गए हैं। जोगिंदर सिंह वाद में, नौरत्ता के उपरोक्त अनुच्छेद का उल्लेख किया गया है।

18. हम इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए उपरोक्त विचारों से पूर्णतः सहमत हैं कि यदि किसी वाद के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता जमानत पर था एवं उसने किसी भी प्रकार की कारावास की सजा नहीं भुगती है, तो वह उस अवधि के लिए छूट का लाभ नहीं ले सकता।

19. यह बात इस वाद में लागू नहीं होती। यहां, अपीलकर्ता ने जेल में काफी समय व्यतीत किया है, जो 17 महीने से अधिक है। इस पर कोई विवाद नहीं है। इस दृष्टि से, अपीलकर्ता का वाद इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए *नालामोलू अप्पाला स्वामी* (उपरोक्त) के निर्णय के दायरे में आता है।

20. हम उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते कि अपीलकर्ता की सजा माफी की याचिका पर उक्त अधिसूचना के आधार पर विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधिसूचना की तिथि को वह जमानत पर था। यह एक गलत दृष्टिकोण है। किसी कैदी का किसी विशेष दिन जमानत पर होना मात्र एक संयोग है। न्यायालय को कैदी द्वारा भुगती गई सजा की वास्तविक अवधि पर विचार करना होगा एवं यह देखना होगा कि क्या वास्तव में भुगती गई अवधि के कारण कैदी सजा माफी का पात्र है। अतः हम उच्च न्यायालय के निर्णय को अपास्त करने के लिए बाध्य हैं।

21. हम अपीलकर्ता को निर्देश देते हैं कि वह इस निर्णय की प्रति संलग्न करते हुए सजा माफी के लिए पुनः निवेदन प्रस्तुत करे। हमारी राय में, अपीलकर्ता

उपरोक्त सरकारी आदेश के अनुसार सजा में छूट के अपने वाद पर विचार किए जाने का हकदार है। हम राज्य को इस फैसले में की गई टिप्पणियों के आलोक में अपीलकर्ता के वाद पर विचार करने एवं अभ्यावेदन प्राप्त होने की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर आदेश पारित करने का भी निर्देश देते हैं।

22. तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है।

आर.पी. अपील स्वीकार की गई।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।